धन्नी देवी – छोटू देवी आदि प्र. सं. 169/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.12.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 18.12.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
18.12.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 17.1.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
17.1.25	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 22.1.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.1.25	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 23.1.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.1.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.1.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते
31.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 168 / 2023

1 धन्नी देवी पत्नी पन्ने सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतहेपुर जिला सीकर।
2 विमला पुत्री पन्नेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 छोटू देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सदीनसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
2 नारायणी देवी पत्नी रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 भरत भडिया पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
4 चेतना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
5 रश्मि पुत्री राजेन्द्र भडिया जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
6 तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.08.2023
मु.नं. 92 / 2019 बउनवानी छोटूदेवी बनाम नारायणी देवी
आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर जिला
सीकर अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 169 / 2023

1 धन्नी देवी पत्नी पन्ने सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतहेपुर जिला सीकर।
2 विमला पुत्री पन्नेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 छोटू देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सदीनसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
2 नारायणी देवी पत्नी रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माण्डेला बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 भरत भडिया पुत्र पन्नेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
4 चेतना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
5 रश्मि पुत्री राजेन्द्र भडिया जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर जिला सीकर।
6 तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.08.2022 मु.नं. 92 / 2019 बउनवानी छोटू देवी बनाम नारायणी देवी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर जिला सीकर अपील अ. धारा 223 राज. काश्त.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राकेश रैवाड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 92/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022, 16.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 79/1, 79/3 वाके ग्राम माण्डेला बड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री व बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम निर्णय इस कारण भी काबिले खारिज है कि पत्रावली की आदेशिका पर पी.डी. जारी करने में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति जताया जाना अंकित किया हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.08.2022 में अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों के विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार फतेहपुर को अधिकृत किया गया था। परन्तु अपीलाधीन वाद में जो निर्णय व अंतिम डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गयी है वह विभाजन प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का माण्डेला बड़ा द्वारा तैयार किया गया है। इस कारण विभाजन प्रस्ताव ही प्रथम दृष्टया अवैध होने के कारण उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। अंतिम डिक्री जारी से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया बल्कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसील कार्यालय में बैठकर ही अपीलाधीन की वादिया छोटू देवी की साजिस से उसके कहे अनुसार तैयार किया गया है। जिसमें उसे अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों में से सड़क की तरफ अधिक कीमती फ्रन्ट की भूमि प्रस्तावित की गयी है और अपीलाधीन वाद के अन्य प्रतिवादीगण को शामलाती रखते हुए सड़क पर कम फ्रन्ट की कम किमती मौका स्थिति के विपरित जमीन प्रस्तावित की गयी है जो कृषि भूमियों के बंटवारे के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये बंटवारा संबंधी नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना में तामील पूर्ण करवाये बिना, एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से दिनेश नागोरा अधिवक्ता द्वारा मेमों ऑफ अपियरेंश प्रस्तुत किया गया है। जिसके उपरांत अपीलांट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रही है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी भी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना में प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये है। जानकारी के उपरांत भी अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम निर्णय के संदर्भ में पत्रावली की आदेशिका पर पी.डी. जारी करने में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति जताया जाना अंकित किया हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.08.2022 में अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों के विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार फतेहपुर को अधिकृत किया गया था। परन्तु अपीलाधीन वाद में जो निर्णय व अंतिम डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गयी है वह विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार फतेहपुर द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का माण्डेला बड़ा द्वारा तैयार किया गया है। इस कारण विभाजन प्रस्ताव ही प्रथम दृष्टया अवैध होने के कारण उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। अंतिम डिक्री जारी से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया बल्कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसील कार्यालय में बैठकर ही अपीलाधीन की वादिया छोटू देवी की साजिस से उसके कहे अनुसार तैयार किया गया है। जिसमें उसे अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों में से सड़क की तरफ अधिक कीमती फ्रन्ट की भूमि प्रस्तावित की गयी है और अपीलाधीन वाद के अन्य प्रतिवादीगण को शामलाती रखते हुए सड़क पर कम फ्रन्ट की कम किमती मौका स्थिति के विपरित जमीन प्रस्तावित की गयी है जो कृषि भूमियों के बंटवारे के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये बंटवारा संबंधी नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना में तामील पूर्ण करवाये बिना, एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर